राजस्थान विश्वविद्यालय
University of Rajasthan

क्रमांकः–एफ–9 / सा.प्र. / 179 / 2020 / दिनांकः

कार्यालय – आदेश

गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.33 (2) गृह–9 / 2019 जयपुर दिनांक 30.09.2020 एवं कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 06.10.2020 की अनुपालना में सूचित किया जाता है कि अनलॉक–5 (01 अक्टूबर, 2020 से 31 अक्टूबर 2020)के लिए जारी की गई गाईडलाइन्स के अनुसार राजस्थान विश्वविद्यालय में अनलॉक–5 की पालना में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. विश्वविद्यालय के समस्त विभागो एवं महाविद्यालयों मे प्रशासनिक कार्यालय कार्मिको की पूर्ण क्षमता के साथ खोले जायेगें। अतः विश्वविद्यालय से समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण विश्वविद्यालय मे उपस्थित होगे।

2. विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष / निदेशक / प्रभारी अधिकारी एवं संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्य व उप प्राचार्य के प्रशासनिक कार्यालय कार्मिको की पूर्ण क्षमता के साथ खोले जायेगे। जिन महाविद्यालयों को ऑनलाइन अध्ययन की अनुमति दी गई है वहां ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निग जारी रहेगी।

3. विश्वविद्यालय एवं अधीन समस्त संघटक महाविद्यालयों, पौद्दार प्रबन्ध संस्थान एवं विश्वविद्यालय के अन्य केन्द्रों मे शैक्षणिक कार्य दिनांक 30 अक्टूबर 2020 तक बन्द रहेगा।

4. विश्वविद्यालय मे केवल शौधार्थी (Ph.D) एवं तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्यक्रमो के ऐसे स्नात्कोतर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला में संबंधित कार्य करना होता है, के लिए अनुमति होगी। यह अनुमति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गृह मंत्रालय से प्राप्त होने वाले निर्देश अधीन ही जारी की जायेगी। 15 अक्टूबर 2020 से निम्नानुसार खोले जाने की अनुमति होगीः–

- केन्द्रीय वित्त पोषित उच्च शैक्षणिक संस्थानों के संस्था प्रधानों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे स्वयं का यह समाधान करेगे कि शौधार्थी (Ph.D)एवं तकनीकी एवं व्यवसायिकी कार्यक्रमों के ऐसे स्नात्कोतर विद्यार्थियो को प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्य की वास्तविक आवश्यकता है।
- अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों, जैसे कि राज्य के विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय आदि को, केवल शौधार्थी (Ph.D) एवं तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्यक्रमों के ऐसे स्नात्कोतर विद्यार्थी जिनको प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्य से संबंधित कार्य करना होता है, राज्य सरकार के निर्णयानुसार खोला जा सकेगा

5. निम्नाकित सावधानियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिये आवश्यक होने के कारण आज्ञापक है एवं इनका उल्लंघन जुर्माने के साथ दण्डनीय होगाः–

- मुंह को ढकनाः सही सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों एवं विश्वविद्यालय परिसर मे चेहरे पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
- सामाजिक दूरीः विश्वविद्यालय परिसर एवं संघटक महाविद्यालय मे प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट (दो गज) की दूरी बनाये रखेगा।

- कार्य स्थलों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू, थूकना निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है।
- विश्वविद्यालय के समस्त अधिकरियों, कर्मचारियों एवं संविदाकार्मियों को यह सलाह दी जाती है कि वे ऐसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में हो, जैसे दरवाजे का हैण्डल, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोये/सेनेटाईजर का उपयोग करे।

6. सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बडे सामूहिक आयोजन दिनांक 31 अक्टूबर 2020 तक अनुमत नही होगे।

7. कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र/कोरोना हॉटस्पोट एरिया मे निवास करने वाले कार्मिक work from home के आधार पर कार्य सम्पादित करेगे। विश्वविद्यालय मे उपस्थित होने वाले अधिकारी/कार्मिक, भारत/राजस्थान सरकार द्वारा नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के बचाव के संदर्भ मे गृह विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगे।

सु०

कुलसचिव

क्रमांक : एफ–9/सा.प्र./179/2020/22196 - 296 दिनांकः 9/10/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1. विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी अधिकारी/समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक इकाईयाँ, रा.वि.वि.,जयपुर।
2. प्राचार्य,महाराजा महाविद्यालय/महारानी महाविद्यालय/कॉमर्स महाविद्यालय/राजस्थान महाविद्यालय/ विधि महाविद्यालय (प्रातः एवं सायं), रा.वि.वि.,जयपुर
3. निदेशक,इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि.,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोडकरवाने का श्रम करें।
4. मुख्य कुलानुशासक/मुख्य आवासाधिकारी/आवासाधिकारी रा.वि.वि.,जयपुर।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, रा.वि.वि.,जयपुर।
6. वित्त नियन्त्रक व वित्तीय सलाहकार/परीक्षा नियन्त्रक, रा.वि.वि.,जयपुर।
7. समस्त चिकित्सा अधिकारी,स्वास्थ्य केन्द्र, रा.वि.वि.,जयपुर।
8. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव, समस्त उप–कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभागाधिकारी ,रा.वि.वि.,जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय उद्यान कार्यालय/विश्वविद्यालय प्रेस, रा.वि.वि ,जयपुर।
10. विश्वविद्यालय अभियन्ता, रा.वि.वि.,जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, रा.वि.वि.,जयपुर।
12. रक्षित पंजिका।

उप कुलसचिव (सा.प्र.)